अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-46/2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअगस्त 17,2013

विषय- विसरा परीक्षण परिणामं के बिना आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि मु0अ0सं0 463/2011 धारा 498ए/304बी/328 भादंवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कोतवाली नानपारा जनपद बहराइच के मुकदमें में मृतका के शरीर पर कोई मृत्यु पूर्व चोट नही थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में "Cause of death could not be ascertained hence viscera was preserved " अंकित था। इसके बावजूद भी विवेचक द्वारा बिना विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये अभियुक्त मुलहे के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 8573/2011 मुलहे बनाम उ0प्र0 राज्य में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते हुए निम्नलिखित आदेश परित किए हैः-

The State Government shall ensure that such type of thing should not be occurred in future and charge sheet should not be submitted in such case when the cause of death is vital ingredients of an offence. State Government will ensure to evolve such mechanical that in such type of the cause of death is vital ingredients to establish the offence, vicera report should be obtained on priority basis and before submitting the charge sheet.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

- यदि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण निश्चित न होने के कारण विसरा सुरक्षित किया गया हो तो मृत्यु का कारण ज्ञात करने के लिए विसरा को तत्काल परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाय।
- यदि विसरा परीक्षण रिपोर्ट ही मृत्यु का कारण निश्चित करने का आधार हो तो ऐसे विसरा परीक्षण का परिणाम प्राथमिकता के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिवस के अन्दर भेजे जाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा जाय।

- यदि समयावधि के अन्दर बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो जनपद प्रभारी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राथमिकता के आधार पर विसरा परीक्षण रिपोर्ट भेजने हेतु पुनः पत्र भेजा जाय।
- उपरोक्त के बावजूद भी यदि विसरा रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे अभियोग जिनमें विसरा परीक्षण रिपोर्ट ही मृत्यु का कारण सुनिश्चित करती हो, उनमें आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में प्रेषित न किया जाय।
- विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उसके परिणाम व अन्य सुसंगत साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित की जाय।

हत्या, सदोष मानव वध, दहेज हत्या के अभियोगों में अभियुक्त की गिरफ्तारी के दिनांक से 90 दिवस के अन्दर यदि आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित नही किया जाता है तो आरोप पत्र के अभाव में अभियुक्त के तकनीकी आधार पर जमानत पर छूटने की पूरी सम्भावना रहती है। अतः निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ यह सुनिश्चित करलें की जिन अभियोगों में विसरा परीक्षण का परिणाम हेतु जनपद प्रभारी का पत्र प्राप्त हो उनकी प्राथमिकता के आधार पर 30 दिवस के अन्दर विसरा परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करा दें।

3. अतः आप सभी को निदेर्शित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में संवेदनशील होकर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

भवदीय,

(देवराज नागर) 17-8-12

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ को अनुपालनार्थ ।